

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 147]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 9 अप्रैल 2015—चैत्र 19, शक 1937

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 अप्रैल 2015

क्र. एफ ए 3-10-2015-1-पांच(21).—यतः, राज्य सरकार यह समझती है कि मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन मध्यप्रदेश राजपत्र में पूर्व प्रकाशन के बिना तत्काल किया जाए;

अतएव, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 71 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 5-क के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“5-क. धारा 10-क के अधीन कुल राशि की सीमा

धारा 10-क की उपधारा (3) के प्रयोजन के लिए, सीमा होगी,—

- (एक) 50 करोड़ रुपये, बासमती धान की दशा में;
- (दो) 300 करोड़ रुपये, गेहूं की दशा में;
- (तीन) 10 करोड़ रुपये, अन्य की दशा में;”.

2. यह संशोधन दिनांक 17 मार्च 2015 से प्रवृत्त हुआ समझा जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 9 अप्रैल 2015

क्र. एफ ए 3-10-2015-1-पांच (21).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-10-2015-1-पांच (21), दिनांक 9 अप्रैल 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 9th April 2015

No. F-A-3-10-2015-1-Five (21).—WHEREAS, the State Government considers it necessary that the following amendment in the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006 should be made at once without previous publication in the Madhya Pradesh Gazette;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 71 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, for rule 5-A, the following rule shall be substituted, namely:—

“5-A. Limit of turnover under Section 10-A

For the purpose of sub-section (3) of Section 10-A, the limit shall be,—

- (i) rupees fifty crores, in case of basmati paddy;
- (ii) rupees three hundred crores, in case of wheat;
- (iii) rupees ten crores, in other cases.”.

2. This amendment shall be deemed to have come into force from 17th March 2015.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.